न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 34/2022

श्री भगवान सहाय शर्मा निवासी एस–32, मोती कुंज अरविन्द मार्ग एम.आई. रोड जयपुर पिन 302001 ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 12.09.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 09–06–2022 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

विधान सभा क्षेत्र निवाई तहसील राजस्थान की निर्वाचक नामावली वर्ष 2014 से 2017 तक की वर्षवार मतदाता सूची की दो प्रमाणित प्रतिलिपियॉ जिसमें मतदाता पहचान पत्र सं. DMH1206887 अनामिका/रामलाल सम्मिलित है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी) निवाई को पत्र क्रिमांक 767 दिनांक 28.07.2022, 846 दिनांक 10.08.2022, 894 दिनांक 23.08.2022 व 996 दिनांक 7.09.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई जिला–टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने वाली सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:48:44 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक